न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 22/2024

उनवान

छोटू पुत्र लाडू जाति चीता निवासी ग्राम राजोसी, नसीराबाद
——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

1. सलमा पत्नी वजीर जाति चीता निवासी ग्राम राजोसी, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज0 पैरोकार

3. शकूर पुत्र नसीर जाति चीता निवासी ग्राम राजोसी, नसीराबाद
4. शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया शाखा भवानीखेडा, नासीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– 3 से 4 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 8.4.25

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 508 रकबा 0.03 किस्म गै. मु. चाह प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 की सह खातेदारी का है। उक्त चाह पर आने–जाने के लिये प्रार्थी के पास कोई रास्ता नही है। चाह के समीप स्थित खसरा नम्बर 509 जो अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की खातेदारी का है मे से रास्ता निकाला जा सकता है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 509 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रदान करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 508 रकबा 0.03 चाह, 511 रकबा 0.34 व 519 रकबा 0.54 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की सह खातेदारी की है। प्रार्थी उक्त आराजी पर आवागमन हेतु हाल खसरा नम्बर 509 रकबा 0.29 में से रास्ता चाहता है। उक्त खसरा नम्बर अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की खातेदारी में है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 570 रकबा 0.84 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से लघुतम मार्ग खसरा नम्बर 509 में से दिया जा सकता है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को चाह तक पहुंचने की आत्यंतिक आवश्यकता है।

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार स्पष्ट है प्रार्थी को चाह पर आवागमन हेतु लघुतम मार्ग अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की खातेदारी आराजी में से होकर है। उक्त आराजी में से 594 वर्ग मीटर भूमि की आवश्कता ही है। 1, 3 व 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में 9 मीटर चौडा रास्ता दिया गया है किन्तु प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य के लिये रास्ताा चाहा गया है अतः 4.5 मीटर चौडा रास्ता पर्याप्त होने के कारण प्रार्थी 4.5 महटर चौउा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 508 में प्रार्थी के साथ अप्रार्थी संख्या 3 भी सह खातेदार है। खसरा नम्बर 509 रकबा 0.29 में अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा बैंक के नाम रहन दर्ज है। किन्तु उक्त खसरा नम्बर में से 594 वर्ग मीटर भूमि ही रास्ते के लिये ली जानी है। शेष आराजी पर भूमि रहन पूर्व अनुसार रहेगा। अतः भूमि पर रास्ता दिये जाने से बैंक रहन का प्रभाव नही होगा। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी 3 रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम व प.म. नान्दला के हाल खसरा नम्बर 509 रकबा 0.29 में से (4.5 मीटर चौडा) 297 वर्ग मीटर भूमि गै0 मु0 रास्ता (सिवायचक खाते में) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के बदले 46909/ अक्षरे छीयालीस हजार नो सौ नो रूपये अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को भुगतान होने के बाद उक्त आराजी गै0मु0रास्ते के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार शेष खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:44 IST
Reason: SelfAttested